प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका क्रमांक: 1872/2001

याचिकाकर्ता: मुद्रिका प्रसाद मिश्रा

उत्तरवादीगण: छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

एकल पीठ: माननीय श्री न्यायमूर्ति **सतीश के. अग्निहोत्री**

याचिकाकर्ता की ओर से : श्री समीर बेहार, अधिवक्ता

उत्तरवादीगण/राज्य की ओर से : श्री पंकज श्रीवास्तव, पैनल अधिवक्ता

मौखिक आदेश

(21 मार्च, 2006)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

1. वर्तमान याचिका, दिनांक 28.02.2000 (अनुलग्नक ए/9) को पारित समाप्ति आदेश को आक्षेपित करती है, जिसके माध्यम से याचिकाकर्ता की सेवा यह कहते हुए समाप्त कर दी गई कि उसकी सेवाओं की अब आवश्यकता नहीं है।

2. मामले से सुसंगत निर्विवाद तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता को प्रारंभ में दिनांक 31.03.1986 (अनुलग्नक ए/1) के आदेश के तहत साइकिल स्टैंड की देखरेख के लिए तीन महीने की अस्थायी अवधि के लिए दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी के रूप में नियुक्त किया गया था। इसके बाद, दिनांक 05.08.1986 (अनुलग्नक ए/2) के आदेश के तहत याचिकाकर्ता को बेल बॉय (घंटी बजाने वाले) का कार्य सौंपा गया। फिर, दिनांक 11.11.1989 (अनुलग्नक ए/3) के आदेश के द्वारा याचिकाकर्ता को नाइट चौकीदार के रूप में नियुक्त किया गया। आगे चलकर, दिनांक 02.12.1989 (अनुलग्नक ए/4) के आदेश से याचिकाकर्ता को अतिरिक्त निदेशक के कार्यालय में कार्य सौंपा गया। तत्पश्चात. याचिकाकर्ता को दिनांक 18.04.1990 (अनुलग्नक

ए/5) के आदेश द्वारा 89 दिनों की अवधि के लिए दैनिक वेतनभोगी आधार पर नियुक्त किया गया था।

3. उत्तरवादी क्रमांक 4 द्वारा दिनांक 30.03.1993 (अनुलग्नक ए/7) के आदेश से याचिकाकर्ता की सेवाओं को चौकीदार पद पर नियमित कर दिया गया, जिसमें वेतनमान ₹750–12–870–15–945/– निर्धारित किया गया था।

4. याचिकाकर्ता की सेवाओं को दिनांक 28.02.2000 (अनुलग्नक ए/9) के आदेश द्वारा यह कहते हुए समाप्त कर दिया गया कि अब उनकी सेवाओं की आवश्यकता नहीं है। यह सेवा समाप्ति 9 वर्ष और 5 माह की सेवा के पश्चात की गई। सेवा समाप्त करने से पूर्व याचिकाकर्ता को एक माह का अग्रिम नोटिस तथा ₹16,223/– का छंटनी मुआवजा राशि प्रदान किया गया था। प्रतीत होता है कि उक्त समाप्ति आदेश औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 25–च के प्रावधानों के अंतर्गत पारित किया गया था। स्वीकृत रूप से उत्तरवादीगण का यह प्रकरण भी नहीं है कि शासकीय विज्ञान महाविद्यालय, रायपुर कोई "उद्योग" है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित अधिवक्ता श्री समीर बेहार ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता, जिसे नियमित आधार पर नियुक्त किया गया था, की सेवा इस आधार पर समाप्त नहीं की जा सकती कि अब उसकी सेवाओं की आवश्यकता नहीं है। इसके अतिरिक्त, यदि याचिकाकर्ता पर कोई कदाचार आरोपित किया गया होता, तब भी बिना कारण बताओ नोटिस और विधिवत जांच के उसकी सेवा समाप्त नहीं की जा सकती थी।

6. उत्तरवादीगण की ओर से उपस्थित अधिवक्ता श्री पंकज श्रीवास्तव ने तर्क दिया कि दिनांक 30.03.1993 के आदेश द्वारा याचिकाकर्ता की नियमित नियुक्ति अवैध थी। दिनांक 15.12.1992 का परिपत्र स्पष्ट रूप से यह प्रावधान करता है कि दैनिक वेतनभोगी और अस्थायी कर्मचारियों, जिन्हें 31.12.1988 से पूर्व नियुक्त किया गया था, की सेवाओं का नियमितीकरण किया जाना था, किंतु वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता को दिनांक 01.04.1990

को, आदेश दिनांक 18.04.1990 (अनुलग्नक ए/5) के अनुसार नियुक्त किया गया था, अतः इस मामले में सेवा समाप्ति से पूर्व कोई नोटिस दिए जाने की आवश्यकता नहीं थी।

7. मैंने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुना और याचिका के साथ संलग्न अभिलेखों तथा उत्तर का अवलोकन किया।

8. यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता की सेवा समाप्त करने का आदेश इस आधार पर पारित नहीं किया गया था कि दिनांक 30.03.1993 को की गई नियमित नियुक्ति परिपत्र दिनांक 15.12.1992 के अनुसार नहीं थी। उक्त सेवा समाप्ति आदेश, जो कि नियमितीकरण की तिथि से 7 वर्ष पश्चात पारित किया गया था, यह कहता है कि याचिकाकर्ता की सेवाओं की अब आवश्यकता नहीं है। आदेश की सामग्री स्पष्ट रूप से यह दर्शाती है कि यह आदेश औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 25–च के प्रावधान के तहत पारित किया गया था, जो किसी उद्योग में कार्यरत श्रमिक की छंटनी की स्थिति में छंटनी मुआवजे के भुगतान का प्रावधान करता है। स्वीकृत रूप से उत्तरवादीगण ने स्वयं यह स्वीकार किया है कि शासकीय विज्ञान महाविद्यालय, रायपुर कोई "उद्योग" नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. उत्तरवादीगण की ओर से उपस्थित अधिवक्ता यह स्पष्ट करने की स्थिति में नहीं हैं कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के प्रावधानों को याचिकाकर्ता की सेवा समाप्त करने के लिए क्यों लागू किया गया। अतः, यह स्पष्ट है कि आक्षेपित सेवा समाप्ति आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। यहां तक कि यदि यह मान भी लिया जाए कि नियुक्ति दिनांक 18.04.1990 को याचिकाकर्ता की नियमित नियुक्ति परिपत्र दिनांक 15.12.1992 के अनुसार नहीं थी, तब भी याचिकाकर्ता को सेवा समाप्त करने जैसे उसके हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले आदेश के पूर्व *कारण बताओ नोटिस* दिया जाना चाहिए था।

10. मैंने दिनांक 15.12.1992 के परिपत्र का अवलोकन किया है, जिसमें यह प्रावधान है कि *31.12.1988 से पूर्व नियुक्त दैनिक वेतनभोगी और आकस्मिक कर्मचारियों को नियमित किए जाने पर विचार किया जाए।* यह परिपत्र दिनांक 15.12.1992, याचिकाकर्ता के मामले में सही

प्रकार से समझा गया और लागू किया गया है। याचिकाकर्ता को प्रारंभ में दिनांक 30.03.1986 को दैनिक वेतनभोगी के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया था, और इसके पश्चात याचिकाकर्ता कार्य करता रहा जब तक कि उसकी सेवा को दिनांक 30.03.1993 के आदेश द्वारा नियमित नहीं कर दिया गया।

11. उत्तरवादीगण की ओर से प्रस्तुत यह तर्क कि नियमित नियुक्ति परिपत्र दिनांक 15.12.1992 के अनुसार नहीं थी, तथ्यात्मक रूप से गलत है और निरस्त किए जाने योग्य है।

12. बकाया वेतन के प्रश्न पर, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने यह प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता को चौकीदार के रूप में कार्य करने से उत्तरदाताओं ने रोका था। आक्षेपित सेवा समाप्ति आदेश अवैध रूप से पारित किया गया था, अतः याचिकाकर्ता पूर्ण बकाया वेतन पाने का हकदार है। इस अवधि में याचिकाकर्ता कहीं भी लाभप्रद रूप से नियोजित नहीं रहा । उत्तरवादीगण के अधिवक्ता ने इसके प्रत्युत्तर में यह तर्क दिया कि "कोई कार्य नहीं, तो कोई वेतन नहीं" (No Work No Pay) के सिद्धांत के आधार पर याचिकाकर्ता को कोई बकाया वेतन नहीं दिया जाना चाहिए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. याचिकाकर्ता ने विशेष रूप से यह उल्लेख किया है कि उसने इस अवधि के दौरान वह कहीं भी लाभप्रद रूप से नियोजित नहीं था। मामले के तथ्यों, परिस्थितियों एवं पक्षकारों के अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार करने के पश्चात मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि 50% बकाया वेतन देना न्याय के हित में उपयुक्त होगा। तदनुसार, यह याचिका स्वीकार की जाती है। उत्तरवादीगण को निर्देशित किया जाता है कि वे याचिकाकर्ता को तत्काल प्रभाव से पुनः सेवा में बहाल करें। याचिकाकर्ता दिनांक 28.02.2000 से बहाली की तिथि तक 50% बकाया वेतन प्राप्त करने का पात्र होगा। यदि याचिकाकर्ता ने ₹16,223/– की छंटनी मुआवजा राशि प्राप्त की है, तो उसे बकाया वेतन की राशि में समायोजित किया जाएगा। वाद व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया गया है।

सही/–

सतीश के. अग्निहोत्री

न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By Aman Ansari, Advocate.

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur